न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 16 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. मोतीराम पुत्र सताराम जाति जाट निवासी समदड़ो का तला (होड़ू) तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।	बनाम	1.थानाराम पुत्र रायमलराम जाति जाट निवासी समदड़ो का तला (होड़ू) तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर। 2.राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 02 / 2018 बअनवान मोतीराम बनाम थानाराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2019 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री भंवरलाल चौधरी अपीलान्ट की ओर से उप.।
2. वकील श्री विष्णु चौधरी रेस्पोडेण्ट की ओर से उप.।

निर्णय

दिनांकः— 17.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट / प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी / अपीलांट के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1064 / 1 रकबा 03.19 बीघा व खसरा संख्या 1754 रकबा 33.00 बीघा ग्राम समदड़ो का तला तहसील सिणधरी में आया हुआ है। जिनके मध्य विप्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1752 / 1 में से होकर पीढियों से आवा जोही अपनी जोत से सड़क आता–जाता रहा है। जो विप्रार्थी के एकतरफा एक सेढे पर आया हुआ है जो अपीलांट ने अपने आवेदन पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा में ऐ से भी दिखाया गया है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी खेत एवं जोत में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट अपीलांट को इस रास्ते जाने से रोक रहा है अवरोध पैदा कर रहे है व आपसी रंजिश के कारण रास्ता पर चलने से मना कर रहे इस कारण रास्ते के लिए अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर तहसीलदार सिणधरी स्वयं के द्वारा मौके

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पर जाकर दोनो पक्षों के रूबरू मौका देख जाकर मौका फर्द पेश की गई थी जिसमें ये बताया गया कि खसरा संख्या 1064/1 में आवागमन हेतु वर्तमान में कोई कटाण मार्ग या सड़क सुविधा उपलब्ध नहीं है आवेदक द्वारा प्रस्तावित रास्ता ही सड़क सुवधिा से जुड़ने का निकटतम विकल्प है। प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली है कोई निर्माण किया हुआ नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इतने महत्वपूर्ण कानूनी तथ्यों को नजर अंदाज कर अपीलांट का आवेदन पत्र को विधि विरूद्ध जाकर खारिज कर दिया गया। प्रस्तावित रास्ता पीढियों का था इस पर पीढियों से आवाजाही हो रही थी जो निकटतम है व सुविधाजनक है विप्रार्थी खातेदार के एक के सेढे से रास्ता चलता है जो दुर्गम व रेतीला भी नहीं है। प्रार्थी/अपीलांट के दादा पनाराम के जीवनकाल में पनाराम के पुश्तैनी खेतों में आपसी बंटवाड़े में जालाराम व रायमलराम को भूमि राजमार्ग पर दी गई थी। प्रार्थी/अपीलांट के पिता को इनके पीछे वाली जमीन दी गई तब से लेकर आज दिन तक इस रास्ता का उपयोग कर रहे थे। सबकी सहमति से आने जाने हेतु यह रास्ता रखा गया था। अब आपसी विवाद के कारण रास्ता बंद किया गया है। इन सब तथ्यों की प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के समर्थन में पेश किये गये गवाहन के शपथ–पत्रों से भी प्रमाणित होता है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों को नजर अंदाज कर निर्णय पारित कर दिया। जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर तहसीलदार सिणधरी स्वयं के द्वारा मौके पर जाकर दोनो पक्षों के रूबरू मौका देख जाकर मौका फर्द पेश की गई थी जिसमें ये बताया गया कि खसरा संख्या 1064/1 में आवागमन हेतु वर्तमान में कोई कटाण मार्ग या सड़क सुविधा उपलब्ध नहीं है आवेदक द्वारा प्रस्तावित रास्ता ही सड़क सुवधिा से जुड़ने का निकटतम विकल्प है। प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली है कोई निर्माण किया हुआ नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इतने महत्वपूर्ण कानूनी तथ्यों को नजर अंदाज कर अपीलांट का आवेदन पत्र को विधि विरूद्ध जाकर खारिज कर दिया गया। प्रस्तावित रास्ता पीढियों का था इस पर पीढियों से आवाजाही हो रही थी जो निकटतम है व सुविधाजनक है विप्रार्थी खातेदार के एक के सेढे से रास्ता चलता है जो दुर्गम व रेतीला भी नहीं है। प्रार्थी/अपीलांट के दादा पनाराम के जीवनकाल में पनाराम के

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पुश्तैनी खेतों में आपसी बंटवाड़े में जालाराम व रायमलराम को भूमि राजमार्ग पर दी गई थी। प्रार्थी/अपीलांट के पिता को इनके पीछे वाली जमीन दी गई तब से लेकर आज दिन तक इस रास्ता का उपयोग कर रहे थे। सबकी सहमति से आने जाने हेतु यह रास्ता रखा गया था। अब आपसी विवाद के कारण रास्ता बंद किया गया है। इन सब तथ्यों की प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के समर्थन में पेश किये गये गवाहन के शपथ–पत्रों से भी प्रमाणित होता है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों को नजर अंदाज कर निर्णय पारित कर दिया। जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि प्रार्थी/अपीलांट की पुश्तैनी खातेदारी भूमि मूल खसरा संख्या 1756 जो बाद में बंटवाड़ा होने के कारण नये खसरा संख्या 1756/2 रकबा 07.11 बीघा कायम हुआ। जिसमें वक्त सेटलमेंट से आज दिनांक तक चल रहें कदीमी रास्ता का उपयोग व उपभोग प्रार्थी/अपीलांट के परिवार करते आ रहे है। इस कारण प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्तें की सुविधा है। वैकल्पिक रास्ता होने के कारण प्रार्थी/अपीलांट को अपनी सुविधा के लिए व नया रास्ता की मांग नहीं कर सकता है। नवीन रास्ते के लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव होना चाहिए। यह अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्त तहसीलदार सिणधरी की मौका रिपोर्ट दिनांक 27.08.2018 में उल्लेखित किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन विधि विरूद्ध एवं न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत पेश किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि फर्द मौका दिनांक 13.03.2018 के अनुसार "आवेदक/अपीलांट मोतीराम पुत्र सताराम जाति जाट निवासी समदड़ो का तला के खसरा संख्या 1064/1 में आवागमन हेतु वर्तमान में कोई कटाण रास्ता या सड़क सुविधा उपलब्ध नहीं है। आवेदक द्वारा प्रस्तावित रास्ता ही सड़क सुविधा से जुड़ने का निकटतम विकल्प है प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली है कोई निर्माण कार्य किया हुआ नहीं है। रेस्पोडेंट का कथन प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर मान्य नहीं किया जा सकता। अपीलांट को अपनी खातेदारी भूमि मे जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 1752/1 में 11 बिस्वा भूमि सर्वोतम एवं न्यूनतम होने के कारण दी जानी उचित है। उपरोक्त विवेचन एवं मौका रिपोर्ट के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 02/2018 बअनवान मोतीराम बनाम थानाराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2019 को निरस्त किया जाता है। मौका फर्द दिनांक 13.03.2018 के अनुसार अपीलांट को रेस्पोडेंट को अपनी जोत तक आवागमन हेतु भूमि खसरा संख्या 1752/1 में से निर्दिष्ट परिशिष्ट"अ" अनुसार 11 बिस्वा भूमि रास्ता में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिणधरी निर्धारित मुआवजा राशि नियमानुसार भुगतान कर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का अमल दरामद कर पालना करें। परिशिष्ट "अ" इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

17/6/19

(मधुसूदन व्यास) राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 17.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

17/6/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

ग्राम- समदड़ों का तला
तहसील- सिणधरी

(मौका जांच का [illegible] नक्शा)
राजस्व आवेदन सं. 02/2018
मोतीराम बनाम धन्नाराम (43)

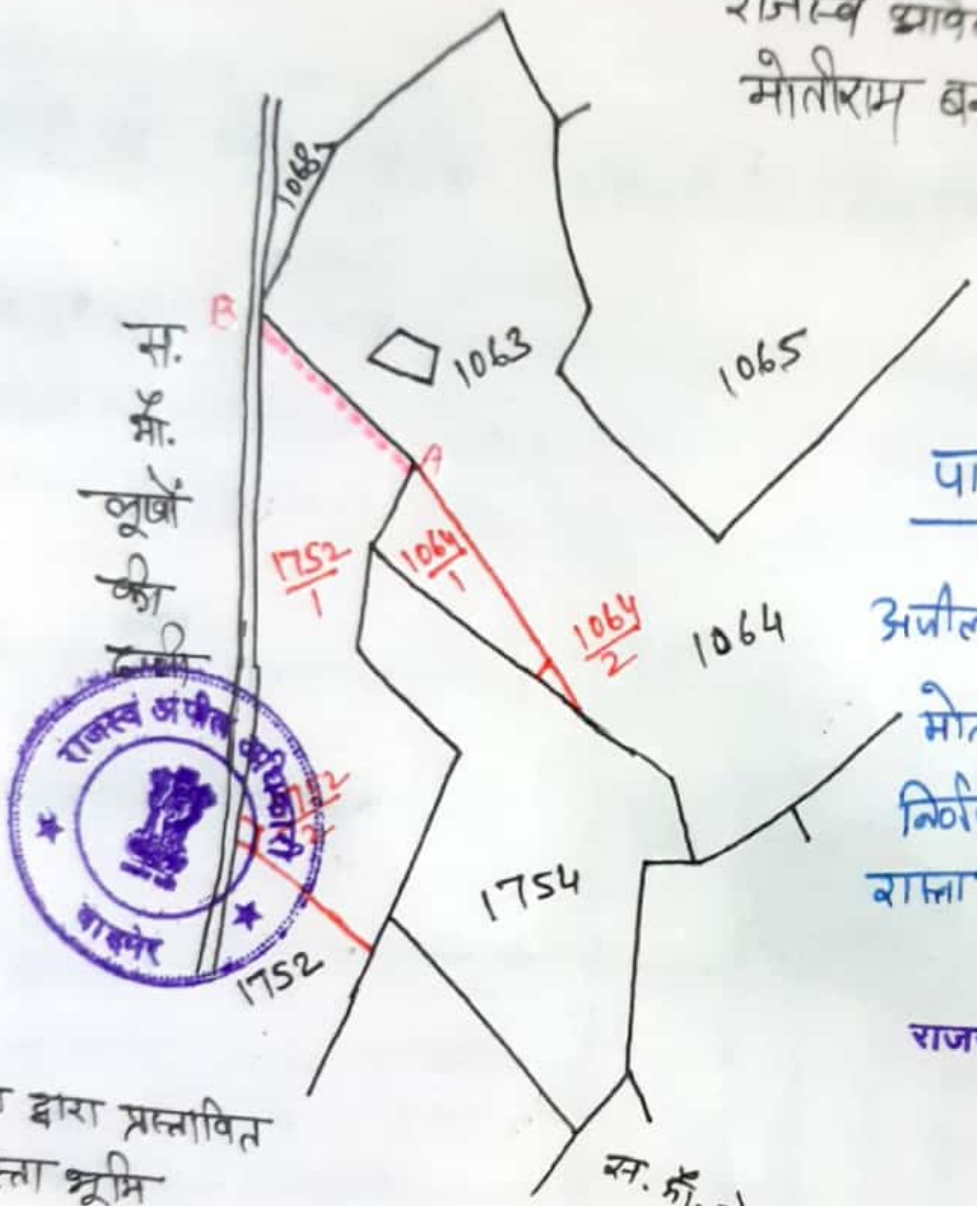

परिशिष्ट "क"
संलग्न
अपील सं. 16/2019
मोतीराम बनाम धन्नाराम
निर्णय दि. 17-6-2019
रास्ता A to B

17/6/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

संकेत -
A——B वादी द्वारा प्रस्तावित रास्ता भूमि

13/03/18
पटवारी (भू.अ.) हो..
तहसील सिणधरी

13.3.18
निरीक्षक (भू.अ.)
हो..

13/3/18
तहसीलदार सिणधरी

Scanned by CamScanner